न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 5/20 निर्णय दिनांक :– 25.8.20

उनवान

1. रमनू देवी पत्नि कजोड उर्फ राजेन्द्र
2. रमेश पुत्र कजोड उर्फ राजेन्द्र
3. सुरेश पुत्र कजोड उर्फ राजेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी– खण्डेलवाल कॉलोनी, वार्ड नं. 19 कस्बा चाकसू जिला जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

दावा बाबत घोषणा नाम दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया वाके ग्राम कृपारामपुरा तहसील चाकसू में आराजी खाता संख्या 57 खसरा नं0 297 रकबा 0.01 है0 एवं खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.04 है0 एवं खाता संख्या 59 में खसरा नम्बर 1048, 1124, 138, 153, 154, 168, 170, 212, 222, 261, 291, 294, 74, 832,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

833/1403 कुल किता 15 कुल रकबा 0.81 है0 एवं खाता संख्या 60 में खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.03 है0 एवं खाता संख्या 61 में खसरा नम्बर 891 रकबा 0.05 है0 एवं खाता संख्या 62 में खसरा नंबर 135, 136, 142, 156, 160, 06 कुल किता 06 कुल रकबा 1.04 है0 स्थित है। जिसमें वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में वादिया के पति व वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त वादीगण के पूर्वज स्व. कजोड उर्फ राजेन्द्र को कजोड व राजेन्द्र दोनो नामों से पुकारा जाता था। जब वादीगण के स्व कजोड उर्फ राजेन्द्र का विरासत का नामान्तकरण खोला गया तो कुछ खातों में तो कजोड उर्फ राजेन्द्र कर दिया गया जबकि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज का नाम कजोड की अंकित किया गया उर्फ राजेन्द्र नहीं जोडा गया उक्त वादीगण के पूर्वज के सभी दस्तावेजात में नाम राजेन्द्र है इस प्रकार उक्त आराजीयात में कजोड के आगे उर्फ राजेन्द्र किया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण अभी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड में अलग नाम व वोटर आई.डी अलग नाम होने से किसान क्रेडिट कार्ड का कार्य रूक गया तब वादीगण को उक्त अशुद्धी की जानकारी हुई। उन्होने देखा तो अन्य खातो में तो कजोड उर्फ राजेन्द्र है लेकिन उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में कजोड उर्फ राजेन्द्र नही है। केवल कजोड ही है जबकि राजेन्द्र व कजोड नाम के एक ही व्यक्ति थे। वादीगण ने तहसील मे नाम दुरूस्त करवाने गय तो तहसील वालो ने दावा करने की हिदायत दी। इसलिये दावा पेश करना लाजमी हुआ तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज के नाम कजोड के आगे उर्फ राजेन्द्र जोडा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जाकर दुरूस्त किया जावे। वरना वादीगण अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगे क्योकि कजोड व राजेन्द्र दोनो वादीगण के पूर्वज के ही नाम है। इस प्रकार कजोड उर्फ राजेन्द्र राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर वादीगण का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद कारण दिसम्बर माह 2019 को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये अपनी राजस्व रिकार्ड निकलवाने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा वादी बहस प्रतिवादी डिक्रि किया जाकर वाद पत्र में मद न. 01 में वर्णित आराजी में वादीगण के पूर्वज के नाम के आगे राजेन्द्र जोडा जाकर कजोड उर्फ राजेन्द्र किया जाकर दुरूस्त करने की घोषण की जावे। जो न्यायहित है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दावल अंदाजी पैदा नही करें। दावा वकील वादी ने पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुआ, दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर तलवी अप्रार्थी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो पैरोकार सरकार ने जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मुताबिक राजस्व जमाबन्दी ग्राम कृपारामपुरा सम्वंत 2074–77 के खाता सं. 57 ख.न 297 रकबा 0.01 है0 व खाता संख्या 58 ख.न 1047 रकबा 0.04 है0 खाता संख्या 59 ख.न 1048, 1127, 138 वगै किता 15 रकबा 0.81 है0 , व ख.न 212 पर भाई *को सीएल* के उपयोग के अधिकार का नोट अंकित है, खाता सं. 60 ख.न 1141 रकबा 0.03 है0, खाता सं. 61 ख.न 891 रकबा 0.05 है0, खाता संख्या 62 कुल किता 6 रकबा 1.04 है0, में रमनू पत्नि कजोड, सुरेश, पुत्र कजोड, रमेश पुत्र कजोड जाति हरि का सहखातेदार व शेष हिस्सा अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। शेष वादी स्वयं सिद्ध करते हुये पेश हुआ है। जवाब

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि जमाबन्दी के अतिरिक्त समस्त दस्तावेजात वादी का नाम राजेन्द्र अकित है जबकि जमाबन्दी के अंकित खातो में कजोड अंकित है जो दुरूस्त फरमाया जावें। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम कृपारामपुरा की जमाबंदी सम्वंत 2074–2077 के खाता सं. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 25 व रमूनू रमेश सुरेश का आधार कार्ड, व रमनू देवी, सुरेशकुमार रमेश का शपथ पत्र पेश बतोर दस्तावेज पेश किया गया। वकील वादी की बहस पर गौर किया व दावा जवाब सरकार एवमं प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड एवमं शपथ पत्रों का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि में वादिया के पति व पिता का नाम कजोड अंकित है केवल जमाबंदी सम्वंत 2074–77 के खाता संख्या 25 में रमूनू पति कजोउ उर्फ राजेन्द्र, रमेश पुत्र कजोड उर्फ राजेन्द्र व सुरेश पुत्र कजोड उर्फ राजेन्द्र अकित है शेष समस्त खातों में वादिया व वादीगण के पिता का नाम कजोड अंकित जिसे जवाब सरकार एवमं प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं आधार कार्ड व जमाबन्दी सम्वतं 2074–77 के खाता संख्या 25 के अनुसार दावा वादी डिक्रि किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी डिक्रि किया जाकर वाके ग्राम कृपारामपुरा तहसील चाकसू के खाता सं. 57 के ख.न 297 रकबा 0.01 है0, खाता सं. 58 के ख.न 1047 रकबा 0.04 है, व खाता संख्या 59 में ख.न 1048, 1124, 138, 153, 154, 168, 170, 212, 222, 261, 291, 294, 74, 832, 833/1403 कुल किता 15 कुल रकबा 0.81 है0 खाता संख्या 60 के ख.न 1141 रकबा 0.03 है0 व खाता संख्या 61 के ख.न 891 रकबा 0.05 है0 व खाता संख्या 62 ख.न 135, 136,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

142, 156, 160, 06 कुल किता 06 कुल रकबा 1.04 है0 वणि
आराजी में वादीगण के ~~प्रवेश~~ पूर्वज के नाम के आगे राजेन्द्र जोडा जाव
कजोड उर्फ राजेन्द्र अकिंत किया जाकर दुरूस्त किये जाने
आदेश दिये जाते है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के शु
नाम रमनू पत्नि कजोड उर्फ राजेन्द्र रमेश पुत्र कजोड उर्फ राजेन्
व सुरेश पुत्र कजोड उर्फ राजेन्द्र शुद्ध किया जाता है व इसी प्रका
राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावें। निर्णय अनुसार डिकि जारी हो
निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद
तकमील दारीवाल दफतर हों

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू